2nd

उत्तर प्रदेश राज्य गंगा समिति की द्वितीय एवं उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण के शासी परिषद की दिनांक 04.01.2018 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

उत्तर प्रदेश राज्य गंगा समिति की द्वितीय एवं उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण (एस.जी.आर.सी.ए.) के शासी परिषद की बैठक दिनांक 04.01.2018 को अध्यक्ष, राज्य गंगा समिति/अध्यक्ष, शासी परिषद, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में राज्य गंगा समिति तथा शासी परिषद के सम्मानित सदस्यों के साथ, उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। प्रतिभागी सदस्यों व उपस्थित अधिकारियों का विवरण निम्नानुसार है:-

क.सं.	पदाधिकारीगण का नाम व पदनाम	समिति व शासी परिषद में पद
1.	श्री राजीव कुमार, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।	–अध्यक्ष
2.	श्री मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव, नगर विकास/परियोजना निदेशक, यू.पी.एस.जी.आर.सी.ए., लखनऊ।	–सदस्य सचिव
3.	श्री राजीव श्रीवास्तव, विशेष सचिव (वित्त), उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	–सदस्य पदेन
4.	श्री रूपेश कुमार, विशेष सचिव (पर्यावरण)/वन, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	–सदस्य पदेन
5.	श्री सी.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव (सिंचाई), उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	–सदस्य पदेन
6.	श्री वी.आर. सिन्हा, पी.सी.सी.एफ./ए.पी.सी.सी.एफ., सोशल फॉरेस्टी। प्रतिनिधि, प्रधान मुख्य संरक्षक, वन, उ0प्र0।	–सदस्य पदेन
7.	श्री पवन कुमार, विशेष सचिव, लघु एवं मध्यम उद्योग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	–आमंत्रित सदस्य
8.	श्री मोहम्मद सिकन्दर, सी.ई.ओ., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ। प्रतिनिधि, अध्यक्ष, उ0प्र0 उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।	–सदस्य पदेन
9.	श्री ए. के. श्रीवास्वत, मुख्य अभियन्ता (गंगा), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।	–सदस्य पदेन
10.	श्रीमती प्रीति चतुर्वेदी, वैज्ञानिक, सी.एस.आर., आई.आई.टी.आर., लखनऊ।	–नामित सदस्य
11.	श्री सुरेश कुमार रोहिला, कार्यक्रम निदेशक, सेन्टर फॉर साइंस एण्ड इनवायरमेन्ट, नई दिल्ली।	–नामित सदस्य
12.	श्री नीरज श्रीवास्तव, एक्टीविस्ट (गंगा संरक्षण), कानपुर।	–नामित सदस्य
एस.पी.एम.जी. के अधिकारी		
1.	श्री श्रीहरि प्रताप शाही, विशेष सचिव, नगर विकास/अपर परियोजना निदेशक, यू.पी.एस.जी.आर.सी.ए., लखनऊ।	–सदस्य शासी परिषद
2.	श्री गोविन्द जी शुक्ला, निदेशक वित्त, यू.पी.एस.जी.आर.सी.ए., लखनऊ।	–

Scanned with OKEN Scanner

3.	श्री जावेद अहमद अंसारी, तकनीकी सलाहकार, यू.पी.एस.जी.आर. सी.ए., लखनऊ।	–
4.	श्री आर.बी.सिंह, सी0 प्रोक्योरमेन्ट स्पेशलिस्ट, यू.पी.एस.जी.आर. सी.ए., लखनऊ।	–
5.	श्री सत्येन्द्र नाथ पाण्डे, सोशल मैनेजमेन्ट स्पेशलिस्ट, यू.पी.एस. जी.आर.सी.ए., लखनऊ।	–
6.	श्री अविरल सक्सेना, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट स्पेशलिस्ट, यू.पी. एस.जी.आर.सी.ए., लखनऊ।	–
7.	श्री आर.एन. सिंह, एकाउन्ट ऑफिसर, यू.पी.एस.जी.आर.सी.ए., लखनऊ।	–

सर्वप्रथम बैठक में प्रतिभाग करने वाले समिति के समस्त सदस्यों का सदस्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास द्वारा स्वागत करते हुए भारत सरकार द्वारा दिनांक 07.10.2016 को जारी अधिसूचना तथा उसके द्वारा गठित राज्य गंगा समिति के बारे में समिति के समक्ष प्रकाश डाला गया तथा बताया गया कि उक्त समिति की प्रथम बैठक दिनांक 18.01.2017 को सम्पन्न हुई है। राज्य गंगा समिति की यह दूसरी बैठक है। उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण के शासी निकाय की बैठक भी इसी के साथ हो रही है। राज्य गंगा समिति व शासी परिषद दोनों के अध्यक्ष, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन हैं। तथा दोनों के सदस्यगण एक समान हैं। समिति के तीन नामित सदस्य हैं तथा दो नामित सदस्य उपस्थित नहीं हैं। राज्य गंगा समिति व शासी परिषद की बैठक प्रत्येक त्रैमास में कम से कम एक बार किये जाने का प्राविधान है।

अध्यक्ष, महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि बैठक में जो सदस्य प्रतिभाग नहीं कर सके है, को भविष्य में विशेष ध्यान रखते हुए बैठक के संबंध में समय से पहले अवगत कराया जाय तथा सभी सदस्यों को बैठक का एजेण्डा समय से ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाय। इसके अतिरिक्त पंचायती राज विभाग एवं लघु उद्योग विभाग को समिति में विशिष्ट आमंत्रित सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाये। इसके अतिरिक्त भविष्य में बैठक प्रत्येक त्रैमास में हो इसका ध्यान रखा जाय। तत्पश्चात् बैठक के एजेण्डा पर बिन्दुवार कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

<u>एजेण्डा बिन्दु–2.1</u>

उ0 प्र0 राज्य गंगा समिति की प्रथमबैठक दिनांक 18.01.2017 के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

समिति द्वारा उ0प्र0 राज्य गंगा समिति की प्रथम बैठक दिनांक 18.01.2017 के कार्यवृत्त को सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

एजेण्डा बिन्दु–2.2

मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन की अध्यक्षता में, उ0 प्र0 राज्य गंगा समिति एवं गवर्निंग परिषद यू.पी.एस.जी.आर.सी.ए. के गठन एवं अन्य विषयों पर विचार विमर्श हेतु दिनांक 18.01.2017 को हुई बैठक की कार्यवृत्त पर अनुपालन आख्या।

समिति द्वारा उ0प्र0 राज्य गंगा समिति की प्रथम बैठक दिनांक 18.01.2017 के कार्यवृत्त पर अनुपालन आख्या का अवलोकन करते हुए, सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–2.3

स्वीकृत परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति का संज्ञान लिया जाना।

उक्त एजेडा बिन्दु पर सदस्य सचिव द्वारा स्वीकृत/वर्तमान में संचालित/पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं के संबंध में समिति को अवगत कराया गया जिस पर समिति द्वारा संज्ञान लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु–2.4

भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा Prerformance Audit on Rejuvenation Of River Ganga संबंधित प्रस्तुत अडिट रिपोर्ट का संज्ञान लिया जाना।

उक्त एजेण्डा बिन्दु पर सदस्य सचिव/परियोजना निदेशक द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में दिनांक 11.01.2018 को प्रधान महालेखाकार, इलाहाबाद की टीम के साथ बैठक निर्धारित की गई है। एस.जी.आर.सी.ए. द्वारा पैरावार उत्तर तैयार किया गया है जो समापन गोष्ठी में रखा जायेगा।

अध्यक्ष/मुख्य सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रधान महालेखाकार (CAG) की आख्या में निर्दिष्ट बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए सम्बंधित समस्त विभागों एस.जी.आर.सी.ए./पंचायती राज/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/उ0प्र0 वन विभाग/उ0प्र0 जल निगम द्वारा नमामि गंगे सम्बन्धी परियोजनाओं व व्यवस्थाओं को सुदृढ करते हुए अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

एजेण्डा बिन्दु–2.5

उ0 प्र0 राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण को प्राप्त धन एवं व्यय विवरण का संज्ञान लिया जाना।

उक्त एजेडा बिन्दु पर अपर परियोजना निदेशक द्वारा समिति को उ0 प्र0 राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण को 01.04.2017 से 31.12.2017 तक प्राप्त धन एवं व्यय विवरण के संबंध में अवगत कराया गया, जिसका समिति द्वारा संज्ञान लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु– 2.6

(क)–राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को भेजे गये पुनरीक्षित प्रोक्योरमेन्ट प्लान 17–18 का अनुमोदन

(ख)–वर्ष 2018–19 के लिए एन.एम.सी.जी. को भेजे गये Annual Action Plan का अनुमोदन।

Scanned with OKEN Scanner

उ0प्र0 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि प्रदेश में बोर्ड की 19 प्रयोगशालायें स्थापित है, जिसमें से मात्र 01 लखनऊ स्थित प्रयोगशाला NABL Accridited Lab है तथा 10 और प्रयोगशालाओं को NABL Accridiation प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

मुख्य सचिव द्वारा विशेष सचिव पर्यावरण एवं उ0प्र0 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अन्य 10 प्रयोगशालाओं को NABL से Accridiation प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करते हुए 6 माह के अन्दर इस कार्य को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही निर्देशित किया गया कि भारतीय विष अनुसन्धान केन्द्र, लखनऊ (ITRC) की प्रयोगशाला, जो कि भारत सरकार की NABL Accridited Lab है, की सेवाएं लेने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। समिति द्वारा वर्ष 2017–18 के पुनरीक्षित प्रोक्योरमेन्ट प्लान तथा वर्ष 2018–19 के प्रोक्योरमेन्ट प्लान का संज्ञान लेते हुए अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–2.7

एन.जी.आर.बी.ए. के स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार, एन.एम.सी.जी.द्वारा स्वीकृत कुल 45 पदों पर नियुक्ति के प्रस्ताव पर विचार।

उक्त एजेडा बिन्दु पर अपर परियोजना निदेशक द्वारा समिति कोउ0 प्र0 राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण के स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार, एन.एम.सी.जी. द्वारा स्वीकृत एन.जी.आर.बी.ए. फ्रेमवर्क में उलिलिखित 38 पदों तथा आवश्यक सहायक स्टाफ के 07 पदों, कुल 45 पदों पर नियुक्ति के प्रस्ताव के संबंध में अवगत कराया गया, जिसका समिति द्वारा संज्ञान लेते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–2.8

उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण, अभिकरण की नियमावली के नियम 22 के अनुसार राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में लागू पारिश्रमिक भत्ता, यात्रा भत्ता, देनिक भत्ता, अन्य भत्ता आदि के भुगतान के सम्बन्ध में विचार विमर्श।

उक्त एजेण्डा बिन्दु पर सदस्य सचिव/परियोजना निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना में कार्यरत संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए यात्रा भत्ता, दैनिक एवं अन्य भत्तों से सम्बन्धित एक प्रस्ताव प्रपत्र निदेशक (वित्त) एस.जी.आर.सी.ए. द्वारा तैयार किया गया है। उक्त के संबंध में अध्यक्ष/मुख्य सचिव महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा आहरित की जाने वाली 'रिमुनरेशन' तथा सरकारी कर्मचारी/अधिकारी के पे स्केल से तुलना करते हुए इसे लागू किया जाय। निदेशक, वित्त द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि उक्त प्रस्ताव राज्य सरकार एवं एन.एम.सी.जी. द्वारा निर्धारित दरों को समाहित करते हुए बनाया गया है। उक्त प्रपत्र समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा इसका संज्ञान लेते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया। **(प्रपत्र संलग्न–1)**।

Scanned with OKEN Scanner

एजेण्डा बिन्दु–2.9

उ0प्र0 राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण के प्रभावी पर्यवेक्षण/तथा संचालित योजनाओं के प्रभावी उपयोग हेतु जारी Expression of Interest/ Request for Proposal तथा Notice inviting tender का विवरण संज्ञानार्थ।

इस सम्बन्ध में सदस्य सचिव द्वारा 'नमामि गंगे' कार्यक्रम की परियोजनाओं के प्रभावी एवं परिणामपरक समयबद्ध कियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु एस.जी.आर.सी.ए. द्वारा किये जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला गया, जो निम्न महत्वपूर्ण विषयों के Expression of Interest/ Request for Proposal तथा Notice inviting tender से सम्बंधित है–

Sl.No	Subject of EoI/RFP/NIT
1.	(EOI) for empanelment of CSOs/NGOs for house sewerage connection
2.	(EOI) for Hiring of Communication/Advertising Agency
3.	Selection of firm for (EOI) Statutory Audit
4.	SPMG Vacant Post Adv.
5.	Selection of NABL Labs for sampling and testing
6.	NIT for online monitoring of STPs
7.	Development of mobile app for daily monitoring of STP
8.	Consultancy services for detecting sewer outlets Points Outfalling into Drains/Rivers
9.	RFP for O&M existing STP and MPS, IPS
10.	PMU APP
11.	Payment Monitoring App

सदस्य सचिव द्वारा कमांक–1 पर उल्लिखित बिन्दु पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि नमामि गंगे व अन्य योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित की जा रही सीवरेज अधोसंरचनाओं यथा एस.टी.पी. व सीवरेज पाइप लाइन का उपयोग डिजाइन की गई क्षमता से काफी कम क्षमता पर हो रहा है। इसका प्रमुख कारण परियोजनाओं के प्रभाव क्षेत्र में घरेलू सीवरेज कनेक्शन न हो पाना है। एन.एम.सी.जी. द्वारा भी विकसित की जा रही अधोसंरचनाओं के पूर्ण क्षमता में उपयोग किये जाने के दृष्टिगत घरेलू कनेक्शन सुनिश्चित किये जाने की अपेक्षा की गयी है। इसके दृष्टिगत अमृत व अन्य योजनाओं में घरेलू सीवरेज कनेक्शन की कई परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं परन्तु कार्यदायी संस्था व ठेकेदारो व क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा घरेलू कनेक्शन हेतु भवन स्वामियों के सहयोग प्राप्त न होने की सूचना दी जाती है। इस कारण ऐसे नगर जिनमें सीवरेज अधोसंरचनाएं किसी योजना के अन्तर्गत विकसित हो चुकी हैं या हो रहीं हैं में घरेलू सीवरेज कनेक्शन की परियोजनाओं को सत प्रतिशत घरेलू कनेक्शन सुनिश्चित कराये जाने हेतु सी.एस.ओ/एन.जी.ओ. को Expression of Interest निकाल कर सूचीबद्ध किया गया है। इन सी.एस.ओ/एन.जी.ओ. को कनेक्शन पूर्ण होने की दशा में प्रति घरेलू कनेक्शन रू0. 200.00 नमामि गंगे आई0ई0सी0 गतिविधि के अन्तर्गत दिया जाना प्रविधानित है। इस प्रकार जन जागरूकता की उक्त गतिविधि परिणामपरक होगी तथा सत प्रतिशत घरेलू कनेक्शन कराकर विकसित अधोसंरचनाओं का पूर्ण क्षमता के साथ उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा।

Scanned with OKEN Scanner

2018

इसी प्रकार राज्य गंगा समिति को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा–5,10 व 11 अन्तर्गत कार्यवाही के लिए सैम्पलिंग व टेस्टिंग के लिए एन.ए.बी.एल. लैब के चयन कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त कम्युनिकेशन एजेन्सी, एस.टी.पी. के मानीटरिंग मोबाइल एप, एस.टी.प. के रख–रखाव हेतु फर्मों के चयन सम्बन्धी आर.एफ.पी., पेमेन्ट मानीटरिंग एप व प्रोजेक्ट मानीटरिंग युनिट के बारे में समिति को अवगत कराया गया। समिति द्वारा उक्त प्रयासों को संज्ञान में लेते हुए इनके शीघ्र कियान्वयन हेतु अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–2.10

गंगा पुनरोद्धार हेतु गठित गंगा टास्क फोर्स (CETF बटालियन) के कैम्प के लिये वाराणसी, इलाहाबाद व कानपुर में स्थल/भवन प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

उक्त एजेण्डा के सम्बन्ध में सदस्य सचिव द्वारा बताया गया कि गंगा टास्क फोर्स के गठन का प्रकरण पिछले एक वर्ष से पूर्व से चल रहा है परन्तु भूमि की उपलब्धता की सूचना प्राप्त न होने के कारण इस सम्बन्ध में कार्यवाही लम्बित है। सम्बंधित मण्डलायुक्त व जिलाधिकारीगण से इस सम्बन्ध में पत्राचार तथा वार्ता की गयी है, जिसका शीघ्र गठन किया जाना आवश्यक है।

इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि सम्बंधित मण्डलायुक्त व जिलाधिकारीगण को अनुस्मारक भेज कर भूमि की उपलब्धता के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त की जाय। साथ ही टास्क फोर्स के गठन के लिए अपेक्षित 06 व 12 एकड़ भूमि की आवश्यकता के औचित्य के बारे में एन.एम.सी.जी. से मार्ग दर्शन प्राप्त किया जाय। टास्क फोर्स के गठन के लिए अनिवार्य न्यूनतम भूमि की उपलब्धता के बारे में प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

एजेण्डा बिन्दु–2.11

जिला गंगा समितियों को सक्रिय व अवस्थापित करने हेतु प्रस्ताव।

उक्त एजेडा बिन्दु पर प्रमुख सचिव, नगर विकास/परियोजना निदेशक द्वारा समिति को जिला गंगा समिति के कार्य एवं गतिविधियों के संबंध में अवगत कराया गया। इस संबंध में मुख्य सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि जिला गंगा समिति को सकिय बनाने एवं अवस्थापित करने के साथ–साथ, जिला गंगा समिति द्वारा किये जाने वाले कार्यों हेतु एक चेक लिस्ट तैयार की जाये, जिससे कि समिति द्वारा विशिष्ट बिन्दुओं पर कार्य करने की योजना के साथ–साथ परियोजना का मूल्यांकन करने में भी सहायता मिल सके। इस चेक लिस्ट को इस तरह बनाया जाये कि जिलों में हो रहे अच्छे कार्य, उनके कियान्वयन एवं केस स्टडी का संज्ञान भी लिया जाये।

एजेण्डा बिन्दुः–2.12

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के धारा 5,10,11 व अन्य नियमों के अर्न्तगत कार्यवाही किये जाने हेतु प्रक्रिया निर्धारण का प्रस्ताव–

उक्त एजेडा बिन्दु पर अपर परियोजना निदेशक द्वारा समिति को उ0 प्र0 राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के धारा 5,10,11 व अन्य नियमों के अर्न्तगत कार्यवाही किये जाने हेतु प्रक्रिया निर्धारण का प्रस्ताव के संबंध में अवगत कराया गया, जिस पर समिति द्वारा संज्ञान लेते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया तथा परियोजना निदेशक को उक्त धाराओं में कार्यवाही हेतु अधिकृत किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

एजेण्डा बिन्दुः–2.13

उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण का नाम परिवर्तित कर राज्य गंगा कार्यक्रम प्रबन्धन समूह/राज्य स्वच्छ गंगा मिशन (State Ganga Programme Management Group/State Mission for Clean Ganga) किये जाने के संबंध में।

उक्त एजेडा बिन्दु पर प्रमुख सचिव, नगर विकास/परियोजना निदेशक द्वारा समिति कोउत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण का नाम परिवर्तित कर राज्य गंगा कार्यक्रम प्रबन्धन समूह/राज्य स्वच्छ गंगा मिशन (State Ganga Programme Management Group/State Mission for Clean Ganga) किये जाने प्रस्ताव के संबंध में अवगत कराया गया। समिति द्वारा राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण का नाम परिवर्तित कर **"State Mission for Clean Ganga (SMCG)"** किये जाने पर सहमति देते हुए नाम परिवर्तन की कार्यवाही कराने का निर्देश दिया गया।

एजेण्डा बिन्दुः–2.14

उ0प्र0 में अधिष्ठापित 85 सीवेज शोधन संयत्रों के रख रखाव एवं संचालन का कार्य विशेषज्ञ फर्मों से कराये जाने के संबंध में।

उक्त एजेडा बिन्दु पर प्रमुख सचिव, नगर विकास/परियोजना निदेशक द्वारा बताया गया कि उ0प्र0 में पूर्व से 85 सीवेज शोधन संयत्र अधिष्ठापित व संचालित हैं। इनमें से 57 नगर निकायों से सम्बंधित हैं जिनका रख–रखाव एवं संचालन सम्बंधित नगर निकाय या उ0प्र0 जल निगम द्वारा किया जा रहा है। रख–रखाव व संचालन के कार्य को गुणवत्तापूर्वक कराने हेतु विशेषज्ञ फर्मों से कराया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में रख–रखाव का व्यय शासन द्वारा निकायों के राज्य वित्त आयोग मद से केन्द्रीय रूप से उ0प्र0 जल निगम को उपलब्ध कराया जा रहा है। विशेषज्ञ फर्मों को Request for Proposal (RFP) निकाल कर चयनित करने तथा एस.टी.पी. के रख–रखाव व संचालन की मानीटरिंग यू.पी.एस.जी.आर.सी.ए. के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है। रख–रखाव व संचालन का व्यय पूर्व की भाँति राज्य वित्त आयोग से किया जाना है।

अध्यक्ष/मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि फर्मों के चयन के संबंध में आर.एफ.पी. में लेवल ऑफ सर्विस तथा थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन के प्रभावी प्राविधान रखे जायें, इस सम्बन्ध में सदस्य सचिव द्वारा बताया गया कि थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन के लिए एन.ए.बी.एल. लैब तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नामित किया जा रहा है। समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

एजेण्डा बिन्दु 2.15

1. **यू.पी. एस.पी. एम.जी में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या ए–11012/15/2011–एनजीआरबीए (पीएमजी) दिनांक 20.07.2011 के साथ संलग्न एप्रोच पेपर में उल्लिखित अवकाश संबंधी समाचार पत्र के व्यय की प्रतिपूर्ति, संचार सुविधा, चिकित्सा बीमा, प्रस्ताव स्वीकृत किया जाना।**
2. **एस.पी.एम.जी. के अधिकारियों/कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा सामान्य बीमा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव।**

Scanned with OKEN Scanner

उक्त एजेण्डा बिन्दु के दोनों प्रस्तावों के संबंध में निदेशक वित्त द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि वर्तमान में यू.पी.एस.पी.एम.जी में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों को अवकाश संबंधी समाचार पत्र के व्यय की प्रतिपूर्ति, संचार सुविधा, चिकित्सा बीमा, चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा सामान्य बीमा की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, इस संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या ए–11012/15/2011–एनजीआरबीए (पीएमजी) दिनांक 20.07.2011 द्वारा सुविधा देने के संबंध में निर्देश भी जारी किये हैं।

समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु 2.16

(क)–स्वच्छ गंगा सर्वे कराने का प्रस्ताव।

उक्त एजेडा बिन्दु पर अध्यक्ष/मुख्य सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि एजेण्डा बिन्दु 2.11 में दिये गये निर्देश के कम में सर्वप्रथम कार्यवाही करते हुए सर्वेक्षण प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जाये। जिला गंगा समिति के कार्यों के विवरण तथा स्वच्छ गंगा सर्वे के लिए विवरण तैयार करने हेतु आर.एफ.पी. जारी कर नियमानुसार सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त करते हुए निविदा आमंत्रित कर चयन कर कार्यवाही जाये।

(ख)–नमामि गंगे नाम से त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित किये जाने का प्रस्ताव।

उक्त एजेडा बिन्दु पर मुख्य सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि नमामि गंगे के नाम से ई–त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित करने के लिए एक समिति बनायी जाये तथा पत्रिका के संकलन एवं प्रकाशन हेतु नियमानुसार एक विशेषज्ञ संस्था का चयन किया जाये। पत्रिका का 'चेस्टर स्कीम' (विषय सूची) का फार्मेट तैयार कर लिया जाय, जिसे अनुमोदित करा कर उसी फार्मेट में पत्रिका का प्रकाशन किया जाय। विशेषज्ञों/लेखकों का एक पैनल बनाया जाय जिनके लेख, पत्रिका में सरकार की उपलब्धियों, सामुदायिक प्रेरणा की गतिविधियों, केस स्टडी, सफल प्रारूप को सम्मिलित करते हुए अन्तराष्ट्रीय संस्थाओं, गैर सरकारी संगठन विद्यालयों के लेख आदि को सम्मिलित किया जाये।

एजेण्डा बिन्दु 2.17

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार–विमर्श।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि प्रत्येक जिले में गंगा संरक्षण के लिए सेवा निवृत्त शिक्षक, आर्मी आफिसर एवं स्वयं सेवी नागरिकों को चिन्हित किया जाये तथा जिला स्तर पर उनकी एक समिति बनायी जाये, जो जिले में एक एक्शन प्लान तैयार करें, जो आम जनता की गंगा नदी के साथ जुड़ी हुयी भावनाओं को जीवन्त एवं जागरूक रखने के लिए सामुदायिक स्तर पर कार्यवाही करती रहे।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि जिला गंगा समिति के सहयोग हेतु चेक लिस्ट बनायी जाये, जो समिति को मार्ग दर्शन कर सके कि उनको किन–किन स्तर पर क्या–क्या कार्य करने हैं तथा चेकलिस्ट में सुझाये गये बिन्दुओं को क्रियान्वित करने के लिए एक गाइडलाइन (Do It Yourself) भी बनायी जाये, जिसमें Best Practices को सम्मिलित किया जाये जिसे समिति अपने स्तर पर उस केस स्टडी को लागू कर सके।

Scanned with OKEN Scanner

नामित सदस्य, श्री नीरज श्रीवास्तव द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में बिजनौर से लेकर बलिया तक एक वाक–वे बनाने का प्रस्ताव किया गया था, जिसको सर्वप्रथम आई.आई.टी. जैसे नामित संस्थानों से स्टडी कराते हुए उस पर कार्यवाही करने हेतु सुझाव दिया गया। इसके अतिरिक्त हरिद्वार से बलिया तक नदी के किनारे 200 कि0मी0 के अन्तराल पर गढ़मुक्तेश्वर, कछला घाट (बदायूँ), फतेहगढ़, गंगा बैराज (कानपुर), इलाहाबाद, चोपन (मिर्जापुर) तथा बलिया में बोट क्लब तथा नदी संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जाय। इस सम्बन्ध में श्री श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव का अध्ययन कर कार्यवाही हेतु सदस्य सचिव को निर्देशित किया गया।

श्री सुरेश कुमार रोहिला, नामित सदस्य, सेन्टर फार साइंस एण्ड इन्वायरमेन्ट, नई दिल्ली, द्वारा निम्न सुझाव दिये गयेः–

1. राज्य स्तर तथा निकाय के अधिकारियों/जन प्रतिनिधियों की विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत क्षमतावर्द्धन कराये जाने व स्टेट गंगा नालेज थिमेटिक सब सेन्टर को स्थापित करने की कार्यवाही किया जाय, जिससे केन्द्र, राज्य एवं निकाय स्तर पर बनाये जाने वाले प्लान, कार्यक्रम एवं योजनाओं की सूचनाओं को संकलित कर कार्यक्रमों को सफल बनाये जाने वाले प्रयासों में सहयोग मिल सके।
2. गंगा नदी संरक्षण से जुड़े सभी विभागों को गंगा नदी विषय पर संकेन्द्रित होकर समन्वित कार्ययोजना एवं प्रयास हेतु एस.पी.एम.जी. को Convergence Point के रूप में विकसित किया जाय।
3. सभी शहरों में सिटी सैनिटेशन प्लान, सैप्टिक टैंक बनाने हेतु म्युनिसिपल बाय–लाज, मिस्त्रियों के प्रशिक्षण, सभी क्रियाशील/प्रस्तावितSewarage Treatment Plant (STP) एवं MSW Plant में **Faecal Sludge को को–ट्रीटमेन्ट करने हेतु जोर दिया गया।**
4. गंगा नदी के किनारे स्थित 33 में 24 शहरों में Faecal Sludge & Septage Management (FSSM) की कोई कार्ययोजना नहीं है।FSSM के अन्तर्गत Faecal Sludgeहेतु पालिसी बनाते हुए उसके संग्रहण, परिवहन, निस्तारण एवं उपयोग हेतु योजनाओं को प्राथमिकता पर बनाया जाय। जिसको कम लागत पर भी बनाते हुए नदी की जल गुणवत्ता को और बेहतर किया जा सकता है। एन.एम.सी.जी. द्वारा "नमामि गंगे" के अन्तर्गत गंगा किनारे स्थित बिजनौर, रामनगर, चुनार एवं गंगा घाट को FSSM हेतु पाइलट रूप में चिन्हित किया गया है। इन शहरों में सिटी सैनिटेशन प्लान तथा सैप्टाज मैनेजमेन्ट की योजना बनाने का कार्य सी.एस.ई., नई दिल्ली द्वारा किया जायेगा। चुनार में Faecal Sludge Treatment Plant (FSTP) बनाने हेतु डी.पी.आर. का कार्य अन्तिम चरण, बिजनौर के सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है और उन्नाव की डी.पी.आर का कार्य पूर्ण कर राज्य स्तर पर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत कर दिया गया है।
5. नान–सीवर क्षेत्र नगरों में Decentarlized Waste Water Treatment को कम लागत में बनाते हुए संचालित कर सकता है जिसमें National Environmental Engineering Research Institute(NEERI), Nagpur एवं Indian Agricultural Research Institute (IARI), New Delhiद्वारा Planted Filter/Constructed Wet Land तकनीकतथा Indian Institute of Technology (IIT), Mumbai द्वारा Soil Technology तकनीक का उपयोग कर जल शोधित किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में सदस्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य हेतु Faecal Sludge & Septage Management (FSSM) की पालिसी एवं गाइड लाइन तैयार करने के लिए सी.एस.ई. के साथ मिलकर कार्य किया जा रहा है जिस पर अध्यक्ष/मुख्य सचिव महोदय द्वारा निदेशित किया गया कि शीघ्र उक्त पालिसी को बनाकर लागू किया जाय तथा De-Sludging operator को चिन्हित कर उनको पंजीकृत करते हुए लाइसेन्स दिये जायें तथा Faecal Sludge Treatment Plant (FSTP) बनाने हेतु भूमि का चिन्हीकरण भी किया जाय।

Scanned with OKEN Scanner

अन्त में सभी को धन्यवाद देते हुए गंगा पुनरोद्धार सम्बन्धी सभी परियोजनाओं को समय व प्रभावी रूप से कियान्वित करने तथा जन जागरूकता से सम्बंधित कार्य को प्रभावी रूप कराये जाने की अपेक्षा के साथ बैठक समाप्त किया गया।

Manoj 2.2.18

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव, नगर विकास,
सदस्य सचिव, राज्य गंगा समिति/शासी निकाय/
उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी गंगा नदी संरक्षण अभिकरण

पत्रांक:- 157/0245-F/SGRCA/01 दिनांक:- 02/02/2018

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नगर विकास/परियोजना निदेशक, यू.पी.एस.जी.आर.सी.ए., लखनऊ।
3. श्री सी.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव (सिंचाई), उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4. श्री रूपेश कुमार, विशेष सचिव (पर्यावरण)/वन, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
5. श्री पवन कुमार, विशेष सचिव, लघु एवं मध्यम उद्योग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
6. श्री राजीव श्रीवास्तव, विशेष सचिव (वित्त), उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
7. श्री वी.आर. सिन्हा, पी.सी.सी.एफ./ए.पी.सी.सी.एफ., सोशल फॉरेस्टी। प्रतिनिधि, प्रधान मुख्य संरक्षक, वन, उ0प्र0।
8. श्रीमती प्रीति चतुर्वेदी, वैज्ञानिक, सी.एस.आर., आई.आई.टी.आर., लखनऊ।
9. श्री सुरेश कुमार रोहिला, कार्यक्रम निदेशक, सेन्टर फॉर साइंस एण्ड इनवायरमेन्ट, नई दिल्ली।
10. श्री नीरज श्रीवास्तव, एक्टीविस्ट (गंगा संरक्षण), कानपुर।
11. प्रो0 बी.डी. त्रिपाठी, बी.एच.यू., वाराणसी।
12. प्रो0 आर.सी. वैश्य, एम.एन.आई.टी., इलाहाबाद।
13. श्री मोहम्मद सिकन्दर, सी.ई.ओ., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ। प्रतिनिधि, अध्यक्ष, उ0प्र0 उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
14. श्री ए. के. श्रीवास्वत, मुख्य अभियन्ता (गंगा), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।

Manoj

प्रमुख सचिव, नगर विकास,
सदस्य सचिव, राज्य गंगा समिति/शासी निकाय/
उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी गंगा नदी संरक्षण अभिकरण

Scanned with OKEN Scanner